हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
29/08/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। विप्रार्थीगण को कोर्ट समय के दौरान तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के विप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण से पत्रावली पर बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नियम अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

संख्या : 108/2023

प्रार्थीगण :—

1. कोजाराम पुत्र मूलाराम
2. गोरधनराम पुत्र मूलाराम
3. धनीदेवी पत्नी मूलाराम
4. भीखाराम पुत्र मूलाराम
5. लिखमाराम पुत्र मूलाराम
   जाति जाट निवासी हुड्डासर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. केसाराम पुत्र बुधराम
2. केसी पत्नी धूडाराम
3. नारणाराम पुत्र बुधाराम
4. भंवराराम पुत्र बुधाराम
5. हुकमाराम पुत्र धूडाराम जाति प्रजापत निवासी रोली
6. चनणाराम पुत्र भगवानाराम
7. चूनाराम पुत्र भगवानाराम
8. भींयाराम पुत्र भगवानाराम
9. सुगणीदेवी पत्नी भगवानाराम
10. हनुमानराम पुत्र भगवानाराम
    जाति नाई निवासी रोली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
11. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 29.08.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा रोली पटवार क्षेत्र वांटा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 240/69 रकबा 0.7805 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान

उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि मौजा रोली पटवार क्षेत्र बांटा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 240/69 रकबा 0.7805 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक पीपराली** को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29/8/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

वाद / 2023 / 1041 दिनांक :

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

कोजाराम वगैरा **केसाराम वगैरा**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं......108 / 2023.. निर्णय दिनांक :– **29.08.2023**

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **रोली** के खेत खसरा नम्बर 240 / 69 रकबा 0.7805 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक पीपराली**.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....**500 / –**...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

क्रमांक: वाद / 2023 / 1042-43
दिनांक : 31/8/23

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी..........गुड़ामालानी
3. भू–अभिलेख निरीक्षक **पीपराली**।
4. हल्का पटवारी....**बांटा.** को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.........**कोजाराम वगैरा**
6. विप्रार्थीगण.........**केसाराम वगैरा....**

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी